NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-09-2025

विषय सूची

» भारत की दृष्टि 1 ट्रिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर बाजार पर
» WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर नई रिपोर्ट जारी की
» APEDA द्वारा कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारती पहल शुरू
» राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे मरीना जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)
» ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, लेकिन नीतियाँ मौन

संक्षिप्त समाचार

» समग्र शिक्षा योजना
» विक्रम 32-बिट चिप
» नारियल विकास बोर्ड
» निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)
» सेना स्पेक्टेबिलिस
» अभ्यास मैत्री (MAITREE)

भारत की दृष्टि 1 ट्रिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर बाजार पर

संदर्भ

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा SEMICON India 2025 (चौथा संस्करण) में भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में वैश्विक नेता बनाने की महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ हैं — ये स्मार्टफोन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर रक्षा प्रणालियों और अंतरिक्ष तकनीकों तक सब कुछ को शक्ति प्रदान करते हैं।
- जैसे-जैसे विश्व अधिक डिजिटलीकरण और स्वचालन की ओर बढ़ रही है, ये आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के केंद्र में आ गए हैं।

भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत की सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम रणनीति को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसके लक्ष्य हैं:

As per industry estimates, the size of the Indian semiconductor market was about $38 Bn in 2023, $45-$50 billion in 2024-2025 and is expected to reach $ 100-110$ Bn by 2030.

  - एक जीवंत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण;
  - वैश्विक निवेश और साझेदारियों को आकर्षित करना;
  - स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों को वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से समर्थन देना।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। यह SEMICON India कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ISM के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं हैं:
  - **सेमीकंडक्टर फैब्स:** परियोजना लागत का 50% तक समर्थन;
  - **डिस्प्ले फैब्स:** परियोजना लागत का 50% तक समर्थन;
  - **यौगिक सेमीकंडक्टर और ATMP:** पूंजीगत व्यय का 50% तक समर्थन;
  - **डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI):** 23 चिप डिज़ाइन स्टार्टअप्स और परियोजनाओं को समर्थन।

हालिया उपलब्धियाँ

- **SEMICON इंडिया प्रोग्राम(2025):** ₹76,000 करोड़ के निवेश के साथ शुरू किया गया, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के माध्यम से लागू किया गया।

- **विषय(2025):** 'आगामी सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण'।
- इसमें 350 से अधिक वैश्विक कंपनियों ने भाग लिया, जो इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

- केंद्रीय आईटी मंत्री ने पहला 'मेड इन इंडिया' चिप प्रस्तुत किया — जिसे ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया।
- भारत ने गुजरात के साणंद में अपनी प्रथम आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) पायलट लाइन शुरू की।
- चार प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई: SiCSem, CDIL, 3D Glass Solutions Inc., और ASIP।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) का तीव्रता से विकास

- भारत ने पाँच नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे कुल संख्या दस हो गई, और केवल 2025 में ही $18 बिलियन (₹1.5 लाख करोड़) का संयुक्त निवेश हुआ।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण पर कार्य कर रहा है, जिसमें शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से तीव्र अनुमोदन, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर की मंजूरी शामिल है;
  - 'फाइल से फैक्ट्री' तक का समय कम करने की प्रतिबद्धता;
  - अल्पकालिक प्रोत्साहनों के बजाय दीर्घकालिक निवेशों को समर्थन।

सेमीकंडक्टर बाज़ार में भारत की भूमिका

- वैश्विक सेमीकंडक्टर बाज़ार के 2030 तक USD 1 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है। भारत के पास सेमीकंडक्टर निर्माण आपूर्ति श्रृंखला के तीन प्रमुख स्तंभों में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने की क्षमता है:
  - **उपकरण:** सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए घटक निर्माण में MSMEs के मजबूत आधार का लाभ उठाना;
  - **सामग्री:** भारत रसायनों, खनिजों और गैसों का समृद्ध स्रोत है, जिन्हें सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला कंपनियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है;
  - **सेवाएँ:** अनुसंधान एवं विकास, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला, साथ ही AI, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं IoT में प्रमुख प्रतिभा।

Source: TH

WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर नई रिपोर्ट जारी की

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दो नई रिपोर्टें प्रकाशित की हैं — 'वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे' और 'मेंटल हेल्थ एटलस 2024'।
  - ये रिपोर्टें 2025 में सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक से पूर्व वैश्विक संवाद को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।
  - यह बैठक गैर-संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी।

मुख्य बिंदु

- **वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट:** एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों के साथ जीवन जी रहे हैं।
  - 2021 में सभी आयु वर्गों में अनुमानित 7,27,000 लोगों ने आत्महत्या के कारण जान गंवाई, जिसमें हर एक आत्महत्या के पीछे 20 से अधिक प्रयास होते हैं।
  - आत्महत्या वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 100 मृत्युओं में से एक का कारण है।

The global prevalence of mental disorders in 2021

- **सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकार:** 2021 में चिंता और अवसादजनित विकारों ने सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का दो-तिहाई से अधिक भाग लिया।

- 2011 से 2021 के बीच मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही।

- **संवेदनशील आयु वर्ग:** 20–29 वर्ष के युवा वयस्कों में मानसिक विकारों की व्यापकता में सबसे अधिक वृद्धि (1.8%) देखी गई।
  - पुरुषों में ADHD, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार और बौद्धिक विकास का अज्ञात विकार अधिक सामान्य रूप से पाया गया।
  - महिलाओं में चिंता, अवसाद और भोजन संबंधी विकार अधिक आम हैं।
- **SDG के तहत प्रगति:** आत्महत्या सभी देशों और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में युवाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण है।
  - फिर भी, आत्महत्या मृत्यु दर को कम करने की प्रगति इतनी धीमी है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) — 2030 तक आत्महत्या दर में एक-तिहाई की कमी — को पूरा नहीं किया जा सकेगा।
  - वर्तमान अनुमान के अनुसार, उस समय सीमा तक केवल 12% की कमी ही हासिल की जा सकेगी।
- **आर्थिक और नीतिगत प्रभाव:** हालाँकि स्वास्थ्य देखभाल की लागत काफी अधिक है, लेकिन अप्रत्यक्ष लागत — विशेष रूप से उत्पादकता की हानि — कहीं अधिक है।
  - केवल अवसाद और चिंता ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष अनुमानित US$1 ट्रिलियन की हानि पहुँचाते हैं।
- **गुणवत्ता युक्त देखभाल की कमी:** यह रिपोर्ट संसाधनों, कार्यबल की उपलब्धता एवं देखभाल की गुणवत्ता में लगातार कमी को दोहराती है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।
  - गंभीर अवसादग्रस्तता विकार से पीड़ित केवल 9% लोगों को ही वैश्विक स्तर पर न्यूनतम पर्याप्त उपचार मिलने की संभावना है।

मानसिक स्वास्थ्य परिवर्तन में प्रमुख अंतराल

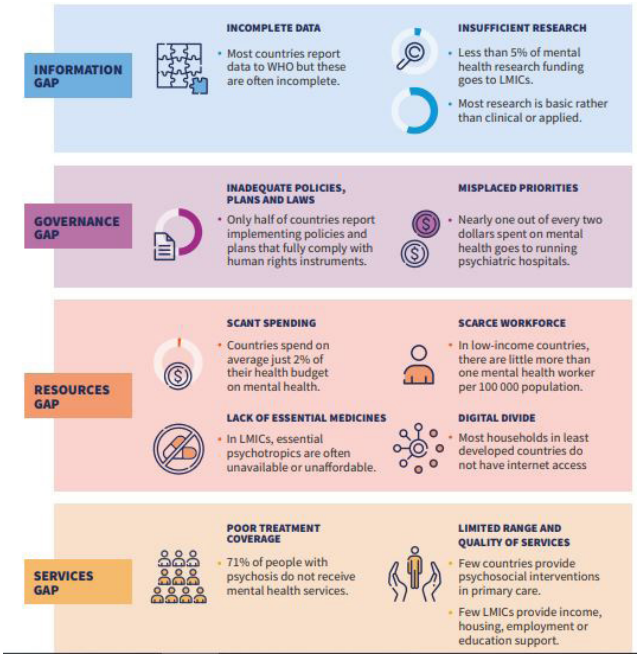

भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS) 2015-16 के अनुसार, भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित थे, जबकि उपचार अंतराल 70% से 92% के बीच था।
  - शहरी महानगर क्षेत्रों में मानसिक रोगग्रस्तता की व्यापकता (13.5%) ग्रामीण क्षेत्रों (6.9%) की तुलना में अधिक थी।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने मानसिक स्वास्थ्य और देश के आर्थिक भविष्य के बीच संबंध को रेखांकित किया। इसमें भारत के युवाओं में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बताए गए हैं:
- **अत्यधिक इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग:** चिंता, नींद संबंधी विकार और ध्यान की समस्याएँ उत्पन्न करता है।
- **पारिवारिक सहभागिता की कमी:** कमजोर सामाजिक समर्थन प्रणाली भावनात्मक कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- **प्रतिकूल कार्यस्थल और लंबे कार्य घंटे:** थकावट, तनाव और उत्पादकता में कमी का कारण बनते हैं।

- **अस्वस्थ जीवनशैली विकल्प:** अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और शारीरिक गतिविधि की कमी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को और बिगाड़ते हैं।

भारत में मनोरोगीय स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियाँ

- **मनोचिकित्सालयों की खराब स्थिति:** प्रायः क्रूरता, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और निम्न जीवन स्थितियों से जुड़ी होती है।
  - यह प्रणालीगत उपेक्षा एवं अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र को दर्शाता है।
- **अल्प वित्त पोषण:** मानसिक स्वास्थ्य को कुल स्वास्थ्य बजट का लगभग 1% ही आवंटित किया जाता है, जिसमें अधिकांश राशि संस्थागत देखभाल को जाती है, न कि सामुदायिक आधारित सेवाओं को।
- **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी:** मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं, नर्सों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भारी कमी है।
- **असमान वितरण:** जिला मुख्यालयों पर कुछ मनोचिकित्सक हैं, जबकि कस्बों/गाँवों में लगभग नहीं के बराबर।
  - इससे शहरी-ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में विभाजन उत्पन्न होता है।
- **सुलभता और आर्थिक बाधाएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
  - उपचार के लिए यात्रा करने से मजदूरी की हानि होती है, जो गरीब परिवारों के लिए असहनीय है।
  - गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः आय अर्जित नहीं करते, जिससे उनका आर्थिक भार में वृद्धि होती है।

भारत सरकार की प्रमुख पहलें

- **मेंटल हेल्थकेयर अधिनियम, 2017:** इस अधिनियम ने भारत में आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण में WHO के दिशा-निर्देशों को सम्मिलत किया।
  - अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान "पूर्व निर्देश" था, जो मानसिक रोगियों को अपने उपचार की दिशा तय करने का अधिकार देता है।
  - इसने इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव थेरेपी (ECT) के उपयोग को सीमित किया और नाबालिगों पर इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही भारतीय समाज में कलंक से निपटने के उपाय भी प्रस्तुत किए।
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017:** यह अधिनियम मानसिक बीमारी को विकलांगता के रूप में मान्यता देता है और विकलांगों के अधिकारों और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- **किरण हेल्पलाइन:** यह हेल्पलाइन आत्महत्या रोकथाम की दिशा में एक कदम है और समर्थन एवं संकट प्रबंधन में सहायता कर सकती है।
- **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP):** 767 जिलों में संचालित, यह आत्महत्या रोकथाम, तनाव प्रबंधन और परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP):** 2022 में शुरू किया गया, यह 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 53 टेली MANAS सेल्स के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य क्षमता का विस्तार:** मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक संसाधनों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

Source: IE

APEDA द्वारा कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारती पहल शुरू

समाचार में

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने अपनी नई पहल BHARATI (भारत का एग्रीटेक, लचीलापन, प्रगति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र) शुरू की है।
  - इसका उद्देश्य भारत को एग्री-फूड स्टार्टअप्स और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन के एग्री-फूड निर्यात को प्राप्त करना है।

BHARATI की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्टार्टअप-केंद्रित पहल:** उद्घाटन बैच में 100 एग्री-फूड और एग्री-टेक स्टार्टअप्स को समर्थन।
- **तीन महीने का त्वरित विकास कार्यक्रम:** उत्पाद विकास, निर्यात तत्परता, नियामक अनुपालन, बाज़ार पहुँच और सहयोगात्मक समाधान पर ध्यान।
- **लक्षित क्षेत्र:** GI-टैग प्राप्त कृषि उत्पाद, जैविक खाद्य, सुपरफूड्स और प्रसंस्कृत भारतीय खाद्य उत्पाद।
- **सहयोगात्मक मॉडल:** राज्य कृषि बोर्डों, विश्वविद्यालयों (IITs, NITs), उद्योग संगठनों, एक्सेलेरेटरों और निजी भागीदारों के साथ साझेदारी।

महत्त्व

- **कृषि निर्यात को बढ़ावा:** भारत को जैविक, GI-टैग प्राप्त और AYUSH उत्पादों जैसे वैश्विक विशिष्ट बाज़ारों में विविधता लाने में सहायता करेगा।
- **स्टार्टअप समर्थन:** एग्री-टेक और खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन और स्केल-अप में वर्तमान महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करता है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** पैकेजिंग, ट्रेसबिलिटी और कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है — जो भारतीय कृषि में भंगुरता और अपव्यय को कम करने के लिए आवश्यक क्षेत्र हैं।
- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखण:** आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप इंडिया को समर्थन।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** SPS-TBT (स्वच्छता और पादप स्वच्छता, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ) मानकों को पूरा करने के लिए समाधान तैयार करता है — जो वैश्विक कृषि निर्यात में एक प्रमुख बाधा हैं।
- **खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय:** मूल्य संवर्धन और पिछड़ी कड़ी को प्रोत्साहित करता है, जिससे खेत-गेट मूल्य बढ़ सकते हैं और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त किया जा सकता है।

सामना करने योग्य चुनौतियाँ

- खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएँ और अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ।
- वैश्विक व्यापार बाधाएँ और सख्त आयात नियम (गुणवत्ता, पर्यावरण, स्थायित्व)।
- छोटे एग्री-स्टार्टअप्स के लिए वित्तपोषण और स्केलेबिलिटी की समस्याएँ।
- विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में मजबूत निर्यात अवसंरचना की कमी।

आगे की राह

- **पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:** पायलट बैच से आगे बढ़कर एक स्थायी वार्षिक इनक्यूबेशन कार्यक्रम स्थापित करना।
- **नीतिगत समन्वय:** निर्यात प्रोत्साहन नीतियों, FPOs, कृषि यंत्रीकरण और खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के साथ संरेखण।
- **अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ:** आयातक देशों के साथ प्रौद्योगिकी और बाज़ार पहुँच के लिए अधिक जुड़ाव।
- **स्थायित्व पर ध्यान:** जलवायु-सहिष्णु, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स समाधान को प्रोत्साहित करना।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

स्थापना: 1986, संसद के अधिनियम द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत।

उद्देश्य: अनुसूचित उत्पादों के निर्यात का विकास और प्रचार, जिनमें फल, सब्जियाँ, अनाज, पशु उत्पाद एवं प्रसंस्कृत खाद्य शामिल हैं।

कार्य क्षेत्र: 14 प्रमुख श्रेणियों में 700 से अधिक उत्पाद (जैसे ताज़ा/प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ, अनाज, मांस, डेयरी, पोल्ट्री आदि)।

Source: TH

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे मरीना जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)

संदर्भ

- देश उच्च समुद्र संधि (High Seas Treaty) को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता पर समझौता" (BBNJ) के नाम से जाना जाता है।

संधि के बारे में

- BBNJ समझौता उच्च समुद्रों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को संबोधित करने वाली प्रथम संधि है।
  - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों के संसाधनों को "मानवता की साझी विरासत" के रूप में माना जाए और विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ लाभों का न्यायसंगत और समान रूप से वितरण किया जाए।
- **पृष्ठभूमि:** BBNJ के संरक्षण और सतत उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के विकास की प्रक्रिया विगत दस वर्षों से चल रही थी।
  - यह संधि वर्षों की वार्ता के पश्चात 2023 में सहमति से पारित हुई और 2024 में देशों के लिए हस्ताक्षर हेतु खोली गई।
  - यह संधि 60वीं पुष्टि, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 120 दिन बाद प्रभाव में आने पर एक अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बन जाएगी।
  - भारत ने 2024 में BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वार्ता के चार मुख्य घटक:

- समुद्री आनुवंशिक संसाधन (Marine Genetic Resources - MGR);
- क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण, जिनमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas - MPAs) शामिल हैं;
- क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण;
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

- **PrepCom I:** तैयारी आयोग का पहला सत्र अप्रैल 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें देशों ने संधि के कार्यान्वयन, नियमों, निकायों और वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा शुरू की।
- **PrepCom II:** यह सत्र संयुक्त राष्ट्र में आयोजित हुआ।
  - इसमें सरकारों, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि एकत्रित हुए।
  - इस बैठक के दौरान छोटे द्वीपीय देशों — कैबो वर्डे और सेंट किट्स एंड नेविस — ने अपनी पुष्टि की घोषणा की।
- अब संधि के प्रभाव में आने के लिए केवल पाँच और पुष्टि की आवश्यकता है।
- एक बार यह हो जाने पर, देश अपनी प्रथम प्रमुख निर्णयात्मक बैठक आयोजित करेंगे, जिसे COP1 कहा जाएगा, और इसके 2026 के अंत में होने की संभावना है।

संधि का महत्त्व

- सदस्य देश उच्च समुद्रों से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकते और लाभों के न्यायसंगत एवं समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं।
- यह समावेशी, एकीकृत, पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करती है, जो एहतियाती सिद्धांत पर आधारित है और पारंपरिक ज्ञान तथा सर्वोत्तम वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- यह क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरणों के माध्यम से समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करने में सहायता करती है और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए नियम स्थापित करती है।
- यह कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में योगदान देती है, विशेष रूप से SDG14 (पानी के नीचे जीवन)।

उच्च समुद्र

- उच्च समुद्र उन सभी समुद्री क्षेत्रों को कहा जाता है जो किसी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र, आंतरिक जलक्षेत्र या द्वीपीय देशों के द्वीपीय जलक्षेत्र में शामिल नहीं होते।

- इसका अर्थ है कि उच्च समुद्र और उससे संबंधित संसाधन किसी भी देश के सीधे स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं होते।

- पृथ्वी के कुल आवासीय आयतन का 95% हिस्सा उच्च समुद्रों में है, लेकिन इसके बावजूद यह क्षेत्र अभी भी मजबूत संरक्षण से वंचित है।

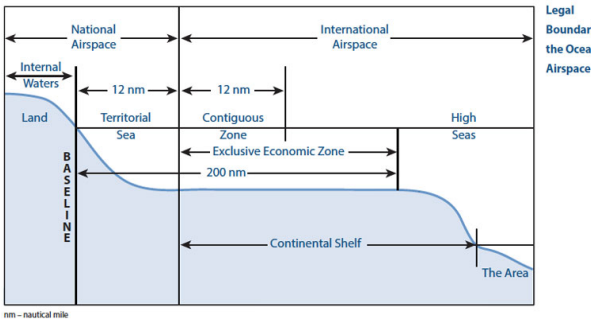

संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS)

- UNCLOS को 1982 में अपनाया गया और 1994 में प्रभाव में लाया गया।
- यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून और व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जो महासागरों के सभी उपयोगों एवं उनके संसाधनों को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करता है।
- यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल पर खनन और संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority - ISA) की स्थापना करता है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA)

- ISA एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना निम्नलिखित के अंतर्गत की गई है:
  - 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS); और
  - 1994 का समझौता, जो UNCLOS के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित है।
- UNCLOS के सभी सदस्य देश ISA के सदस्य हैं।
  - ISA के 170 सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।
- **मुख्यालय:** किंग्स्टन, जमैका।

Source: DTE

ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, लेकिन नीतियाँ मौन

समाचार में

- भारतीय शहरों में शहरी ध्वनि प्रदूषण एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जहाँ डेसिबल स्तर प्रायः अनुमेय सीमाओं से अधिक होता है — विशेष रूप से स्कूलों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास।

शहरी ध्वनि के स्रोत

- **यातायात जाम:** हॉर्न बजाना, इंजन की आवाज़ और रोड रेज प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- **निर्माण कार्य:** देर रात की ड्रिलिंग, क्रेन संचालन और पाइल ड्राइविंग प्रतिबंधों के बावजूद जारी रहते हैं।
- **सार्वजनिक कार्यक्रम:** धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में लाउडस्पीकर का उपयोग अक्सर मानकों का उल्लंघन करता है।
- **त्योहारों और रैलियों में पटाखों का प्रयोग** अनुमेय सीमाओं को पार करता है।
- **डीज़ल जनरेटर:** बिजली कटौती के दौरान उपयोग किए जाते हैं, जो उच्च डेसिबल स्तर उत्पन्न करते हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव

- यह उच्च रक्तचाप, नींद संबंधी विकार, श्रवण हानि और हृदय संबंधी तनाव से जुड़ा हुआ है।
- लंबे समय तक संपर्क चिंता, थकावट और संज्ञानात्मक प्रदर्शन में कमी का कारण बनता है।
- **बच्चे और बुजुर्ग** विकासात्मक और मानसिक व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
- यह शहरी हरित क्षेत्रों में पशुओं के व्यवहार, प्रजनन पैटर्न और आवास उपयोग को प्रभावित करता है।

कानूनी और नीतिगत ढाँचा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शांत क्षेत्रों में सुरक्षित सीमा दिन में 50 dB(A) और रात में 40 dB(A) है।
- **ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000** क्षेत्र आधारित सीमाएँ और प्रवर्तन तंत्र प्रदान करते हैं।

- 2011 में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने **राष्ट्रीय परिवेशीय ध्वनि निगरानी नेटवर्क (NANMN)** शुरू किया, जिसे एक रीयल-टाइम डेटा प्लेटफ़ॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया था।
- 2024 में, **सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की** कि अत्यधिक ध्वनि जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
- **अनुच्छेद 21** गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें मानसिक और पर्यावरणीय कल्याण शामिल है।
- **अनुच्छेद 48A** सक्रिय पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमाओं से अधिक होते हैं।
- अतः भारत को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को रीयल-टाइम डेटा और कानूनी अधिकार देकर प्रवर्तन को सशक्त बनाना चाहिए।
- शहरी नियोजन में सुधार की आवश्यकता है ताकि शोरगुल वाले और संवेदनशील क्षेत्रों के बीच बफ़र ज़ोन बनाए जा सकें, और स्वास्थ्य जोखिमों व कानूनी दंडों के बारे में जन जागरूकता अभियान शुरू किए जा सकें।
- **AI और IoT** का उपयोग स्मार्ट ध्वनि निगरानी के लिए किया जा सकता है, और नगर निकायों, ट्रैफिक पुलिस तथा पर्यावरण नियामकों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत ढाँचा स्थापित किया जा सकता है।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

समग्र शिक्षा योजना

पाठ्यक्रम: GS2/ सरकारी पहल

संदर्भ

- तमिलनाडु द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि समग्र शिक्षा निधियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति से अलग कर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009**
  - निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर पर कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं, निःशुल्क।
  - धारा 7 केंद्र और राज्यों दोनों को साझा वित्तीय जिम्मेदारी सौंपती है।
- **विवाद**
  - केंद्र ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत निधि वितरण की समस्याएँ तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को लागू न करने के कारण उत्पन्न हुईं।
  - तमिलनाडु ने एनईपी की त्रिभाषा नीति का विरोध किया, इसे हिंदी पर बल देने के कारण क्षेत्रीय भाषाई विविधता के लिए खतरा बताया।
  - हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष के लिए पूरी वित्तीय जिम्मेदारी वहन करने का निर्देश दिया।

समग्र शिक्षा योजना के बारे में

- यह एक एकीकृत योजना है, जिसे केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था, जो पूर्व-प्रारंभिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 12वीं तक) की शिक्षा को कवर करती है।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी)।
- इसने पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समाहित किया:
  - सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
  - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
  - शिक्षक शिक्षा (TE)
- **उद्देश्य:** सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4), शिक्षा का अधिकार और नई शिक्षा नीति को लागू करना।

- **कवरेज:** 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ से अधिक छात्र और 57 लाख शिक्षक (सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में)।

Source: TH

विक्रम 32-बिट चिप

समाचार में

- केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्रम 32-बिट प्रोसेसर भेंट किया।

विक्रम 32-बिट चिप

- यह भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है, जो कठोर प्रक्षेपण यान परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक उन्नत माइक्रोप्रोसेसर है, जो इसरो के प्रक्षेपण यान एवियोनिक्स में 2009 से उपयोग किए जा रहे 16-बिट VIKRAM1601 चिप का उन्नत संस्करण है, जिसे विशेष रूप से अंतरिक्ष उड़ान अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Source :HT

नारियल विकास बोर्ड

समाचार

- नारियल विकास बोर्ड ने संशोधित योजनाओं का शुभारंभ और निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करके केरल में विश्व नारियल दिवस मनाया।

नारियल विकास बोर्ड

- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 जनवरी 1981 को हुई थी।
- इसका उद्देश्य भारत में नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता एवं उत्पाद विविधीकरण बढ़ाना है।
- यह फसलोत्तर प्रसंस्करण और विपणन तकनीकों के विकास, उत्पाद विविधीकरण एवं उप-उत्पाद उपयोग को बढ़ावा देने, नारियल आधारित उत्पादों का मूल्यवर्धन, सूचना साझा करने तथा नारियल क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर भी कार्य करता है।
- **मुख्यालय:** कोच्चि, केरल

Source :PIB

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

संदर्भ

- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के सहयोग से निवेशक शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

परिचय

- निवेशक शिविर, दावा न किए गए निवेशों की उच्च सांद्रता वाले शहरों में आयोजित राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक भाग है।
- ये शिविर निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने, वित्तीय हितों की रक्षा करने और भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, पहुँच एवं विश्वास सुनिश्चित करने के लिए IEPFA की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

- **मंत्रालय:** कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय।
- इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसे निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- यह दावा न किए गए शेयरों एवं लाभांशों की वापसी को सुगम बनाकर और देश भर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है।
- निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत एवं निवेशक शिविर जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से, IEPFA व्यक्तियों को सूचित वित्तीय विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाता है और वित्तीय रूप से जागरूक नागरिकों को बढ़ावा देता है।

Source: PIB

सेना स्पेक्टेबिलिस

संदर्भ

- केरल ने वायनाड में भारत की प्रथम विज्ञान-आधारित, समुदाय-नेतृत्व वाली सेना स्पेक्टेबिलिस उन्मूलन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, जिसमें 383 एकड़ संक्रमित वन क्षेत्र को साफ किया गया।

परिचय

- सेना स्पेक्टेबिलिस को 1980 के दशक में केरल में लाया गया था।
  - यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व में फैल चुका है, जहाँ यह देशी पौधों और वन्यजीवों के खाद्य स्रोतों को बाधित कर रहा है।

- **मूल क्षेत्र:** दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (ब्राज़ील, पेरू आदि)।
- **सौंदर्य उपयोग:** इसके चमकदार पीले फूलों के कारण इसे सामान्यतः सड़कों और बगीचों में सजावटी वृक्ष के रूप में लगाया जाता है।
- **भारत में आक्रामक प्रजातियाँ:** इन्हें सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, लेकिन अब ये पश्चिमी घाट, केरल और अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक आक्रामक हो गई हैं।
- **चिंताएँ:** सेना घने, बंजर झाड़ियों का निर्माण करती है, देशी पौधों का दम घोंटती है, मृदा के रसायन को बदल देती है और शाकाहारी जीवों को भोजन से वंचित कर देती है।
  - आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से सेना के प्रसार की खबरें आ रही हैं।
  - संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इनसे निपटा नहीं गया, तो ये क्षेत्र दक्षिण भारत की गलतियाँ दोहरा सकते हैं।

Source: DTE

अभ्यास मैत्री (MAITREE)

संदर्भ

- भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, मैत्री-XIV, का 14वाँ संस्करण मेघालय में शुरू हुआ।

अभ्यास के बारे में

- इस वर्ष का मुख्य ध्यान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कंपनी-स्तरीय, आतंकवाद-रोधी अभियानों पर है।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल में सामरिक अभ्यास, संयुक्त योजना, शस्त्र कौशल, शारीरिक सहनशक्ति और छापेमारी अभियान शामिल हैं।
- 2006 में शुरू किया गया, मैत्री अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का एक प्रमुख घटक बना हुआ है, जो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और थाईलैंड की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

Source: PIB

■■■■